न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 05/2021

प्रार्थी :–

1. झींटाराम पुत्र रामलाल
   जाति–जाट, निवासी–जायल तहसील–जायल जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. नाथूराम पुत्र शिवजीराम जाति–जाट निवासी–जायल
2. बजरंगराम पुत्र हुक्माराम जाति–जाट निवासी–जायल
3. मैनेजर एच.डी.एफ.सी.बैंक लिमिटेड शाखा–नागौर
4. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा–रोल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी, अम्बालाल पाराशर अप्रार्थी संख्या 1,की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के एक पक्षीय कार्यवाही।
4. अप्रार्थी संख्या 5 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 22/07/2024

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 का सहखातेदारी का खेत खसरा नं. 1396/1 रकबा 3.2051 हैक्टेयर के रूप में स्थित है। जिसमें आने जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नं. 4023/1395 रकबा 0.1942 हैक्टेयर मे से माफिक नजरीनक्शा के अनुसार चलते हुये रास्ते से आते जाते रहे है। इसी रास्ते से प्रार्थी अपने सहखातेदारी के खेत में काश्त करसण करता रहा है। इसी खेत में प्रार्थी की रहवासी ढाणी एवं प्रार्थी के भाई मुकनाराम, रामचन्द्र पांचाराम की ढाणियां बनी हुई है। प्रार्थी के सहखातेदारी के खेत में आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक तथा निकटतम रास्ता नहीं होने से प्रार्थी व प्रार्थी के भाई परिवार सहित निवास करते है तथा अपने पशुधन ट्रेक्टर उंट छकड़ा आदि लाता जाता रहा है, उक्त रास्ते की चौड़ाई 20 फीट मार्क ए से बी तक नजरी नक्शा में दर्शाई गई है। उक्त

22/07/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रास्ते को मात्र खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना कब्जा व काश्त के उक्त वर्षो से चले आ रहे कदाणी रास्ते को बंद करने की मंशा जाहिर करते हुये धमकिया दे रहा है। प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की बिना कब्जा के खातेदारी की भूमि में से अपने खेत में से आना जाना व कृषि कार्य व अन्य सम्पूर्ण कार्य करने के लिए रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के सहखातेदारी के खेत, रहवासी ढाणी में आवागमन हेतु नहीं लगता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुसार सबसे निकटतम कटाणी रास्ते से काश्तकार/खातेदार के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा काश्तकार/खातेदार को रास्ते की आत्यान्तिक होने पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर की 2 गुणा राशि पर दिये जाने का प्रावधान है।

अतः प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 1396/1 में से माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जावे जिसके एवज में प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार देय प्रतिफल राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस.एस.कालवी व श्री अम्बालाल पाराशर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के सम्मन बावजूद सूचना के तामील सुदा प्राप्त होने पर भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हस्तगत प्रकरण में भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल के जरिये पत्रांक भूअ./2021/1112 दिनांक 10.03.2021 प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

- प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं है, तथा प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ता ए से बी से ही आवागमन हो रहा है।
- प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है अन्य कोई सड़क/रास्ता नजदीक उपलब्ध नहीं है।
- प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित व वांछित रास्ते की भूमि/स्थान पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित रास्ते के लिए खसरा नं. 40231395 आता है, मौके पर माप अनुसार 43 फीट लम्बाई व 20 फीट चौड़ाई में रास्ता की मांग की है जिसके लिए 0.01 बीघा भूमि उपभोग में आयेगी। तथा प्रस्तावित रास्ते के लिए डी.एल.सी. दर 84550/– रू. प्रति बीघा है, जिसके अनुसार 8460/– रू. प्रतिकर राशि देय है।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरवी करते हुये वकील श्री एस.एस. कालवी ने जवाब/आपत्तियां पेश कर बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है, तथा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1396/1 में जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 4023/1395 में से होकर कभी भी 20 फीट चौड़ाई का रास्ता रहा हो, नजरीनक्शा गलत पेश किया है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए शुरू से ही खसरा नं 1394 में से रहा है, लेकिन खसरा नं. 1394 के खातेदार से प्रार्थी का विवाद करने से उक्त रास्ता खसरा नं. 1394 के खातेदार ने रोक दिया तथा यह प्रार्थना पत्र विकल्प के रास्ता के लिए पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसी प्रकार अप्रार्थी/जवाबदेहन्दा की खातेदारी का खेत अत्यन्त ही छोटा रकबा है।

अतः प्रार्थना में वर्णित तथ्य, गलत, आधारहीन होने तथा वैकल्पिक रास्ता आवागमन होने के बावजूद अप्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से पेश है किया है काबिले खारिज होने से खारिज किये जाने का निवेदन जवाब/आपत्ति में किया। इसी प्रकार बजाय तो खसरा नं. 1394 अपेक्षाकृत बड़ा रकबा है तथा उसके पूर्वी माठ पर दूरी भी प्रार्थी द्वारा चाहे गये स्थान के बजाय कम दूरी का है। तथा धारा 251क की मंशा भी यह है कि कम से कम भूमि को उपयोग में लेते हुये रास्ता की व्यवस्था की जावे। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 1 का उसकी खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते से आने जाने के लिए मना किये जाने संबंधी कथन विरोधाभाषी है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बदनियति पूर्वक कम दूरी के स्थान को छुपाते हुये नक्शा पेश किया है तथा ऐसी ही चालाकीभू. अ. निरीक्षक द्वारा की गई है। तथा नक्शा हाथ से बनाया है नक्शे की प्रति पेश करते तो कम दूरी वाला स्थान स्वतः ही प्रकट हो जाता। इसलिए इस बिन्दू पर दूबारा रिपोर्ट ली जानी भी न्यायसंगत है। जिसमें दोनो स्थानों का खुलासा नाप लिखा जावे। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क सारहीन, गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो काबिले खारिज है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रकरण का अवलोकन किया, उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत है, जो कि संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) के तहत आते है तथा प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही (भू.अ. मौका रिपोर्ट व अप्रार्थीगण को सूचना) हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब/आपत्तियां पेश की जा चुकी है। अन्य पक्षकार जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। प्रकरण में किसी प्रकार कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली में बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

5. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये अतिरिक्त कथन किये कि प्रार्थी व अप्राथी संख्या 1 के उक्त सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 1396/1 में आने जाने हेतु अन्य कोई निकटतम तथा वैकल्पिक, कम दूरी का रास्ता नहीं है, जिसमें से आना जाना तथा कृषि कार्य कर सके। प्रार्थना पत्र में वर्णन अनुसार एवं नजरी नक्शा में दर्शाये मार्ग रास्ता ए से बी 20 फीट चौड़ाई में जो कि खसरा नं. 4023/1395 में से प्रस्तावित किया गया है, यही एक मात्र रास्ता है, उक्त रास्ता 20 फुट चौड़ाई में माफिक नजरी नक्शानुसार वर्षो से रहता चला आया है। जो अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि में से है जिसमें से आना जाना नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मना कर दिया है, तथा उक्त वर्षो पुराने रास्ते का रोक दिया है। उक्त रास्ता बंद कर दिये जाने से प्रार्थी काश्त करसण, पशुधन आदि को खेत में लाना ले जाना तथा आवश्यक संसाधन नहीं ले जा सकता है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के सहखातेदारी के खेत, रहवासी ढाणी में आवागमन हेतु नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की मांग की पुष्टि तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी होती है जिसमें प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए किसी प्रकार का वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का उल्लेख है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार कच्चा/पक्का निर्माण कार्य भी नहीं होने संबंधी तथ्य प्रकट किये गये है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 1396/1 में प्रवेश हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 4023/1395 में से 20 फीट चौड़ाई का तथा 43 फीट लम्बाई में

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश पारित करावे।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस अतिरिक्त कथन करते हुये निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुसार सबसे निकटतम कटानी रास्ते से काश्तकार/खातेदार के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा काश्तकार/खातेदार को रास्ते की आत्यान्तिक होने पर नियमानुसार डी. एल.सी. दर की 2 गुणा राशि पर दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी को सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 1396/1 में कृषि प्रयोजनार्थ आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 4023/1395 में से मौकिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जावे जिसके एवज में प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार देय प्रतिफल राशि का भुगतान करने हेतु सहमत है।

6. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान तथा वकील प्रार्थी द्वारा बहस में दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है, प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1396/1 में जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 4023/1395 में से होकर कभी भी 20 फीट चौड़ाई का रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए शुरू से ही खसरा नं 1394 में से रहा है, लेकिन खसरा नं. 1394 के खातेदार से प्रार्थी का विवाद करने से उक्त रास्ता खसरा नं. 1394 के खातेदार ने रोक दिया तथा यह प्रार्थना पत्र विकल्प के रास्ता के लिए पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना में वर्णित तथ्य, गलत, आधारहीन होने तथा वैकल्पिक रास्ता आवागमन के लिए खसरा नं. 1394 में से होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 केवल को तंग व परेशान की नियत से पेश है किया है। अप्रार्थी/जवाबदेहन्दा की खातेदारी का खेत अत्यन्त ही छोटा रकबा है तथा खसरा नं. 1394 अपेक्षाकृत बड़ा रकबा है तथा उसके पूर्वी गाठ पर दूरी भी प्रार्थी द्वारा चाहे गये स्थान के बजाय कम दूरी का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा भी यह है कि कम से कम भूमि को उपयोग में लेते हुये रास्ता की व्यवस्था की जावे। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 1 का उसकी खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते से आने जाने के लिए मना किये जाने संबंधी कथन किये है जो कि विरोधाभासी है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बदनियति पूर्वक कम दूरी के स्थान को छुपाते हुये नक्शा पेश किया है तथा ऐसी ही चालाकी भू.अ. निरीक्षक द्वारा की गई है।

Scanned with CamScanner

इसलिए इस बिन्दू पर दूबारा रिपोर्ट ली जानी भी न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना में वर्णित तथ्य, गलत, आधारहीन होने तथा वैकल्पिक रास्ता आवागमन होने के बावजूद अप्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से पेश है किया है, जो खारिज किया जावे।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मार्फत तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक 1112 दिनांक 10.03.2021 के प्राप्त हुई में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1396/1 में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता मौजूद नहीं होने का अंकन है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 4023/1395 में से 20 फीट चौड़ाई में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार कच्चा/पक्का निर्माण नहीं होने का भी अंकन भी है। इसी प्रकार अप्रार्थी का यह कथन भी सही है कि खसरा नं. 1394 में रास्ता प्रस्तावित किया, जाना चाहिऐ था जो भी प्रार्थी के खातेदारी के खेत तथा कटाणी मार्ग के समीप है। परन्तु यहां यह देखा जाना आवश्यक है कि कोई नया रास्ता कायम किये जाने से वेहतर होगा कि पुराना कदीमी रास्ता को कटाण घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र 251क में प्रस्तुत नक्शा भू. अभिलेख व गुगल मैप के नक्शे से भी प्रार्थी के खेत के आस पास कोई अन्य कटाणी रास्ता नहीं है तथा खसरा नं. 4023/1395 ही एक मात्र विकल्प है जिससे प्रार्थी का आवागमन कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होगा तथा रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन, मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1396/1 मौजा–जायल, तहसील–ज़ायल में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता तो प्रतीत होती है। धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशानुसार किसी भी खातेदार काश्तकार को वैकल्पिक रास्ते का अभाव, निकटतम कटाणी रास्ते से रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर दिये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में प्रस्तावित नजरी नक्शे एवं मौका रिपोर्ट में भिन्नता नहीं है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कच्चा/पक्का निर्माण नही है तथा कटाणी मार्ग से ही रास्ता 20 फीट चौड़ाई का मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया

Scanned with CamScanner

गया है। प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता भी प्रतीत होती है।

अतः हमारी राय में प्रस्तावित रास्ते की दूरी 43 (लम्बाई) फीट तथा 20 फीट चौड़ाई है तथा अप्रार्थी का खेत का रकबा भी 0.1942 हैक्टैयर भूमि ही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है। इसलिए हम प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 4023/1395 रकबा 0.1942 हैक्टेयर में 43 फीट लम्बाई व 20 फीट चौड़ाई के स्थान पर 13 फीट चौड़ाई व 43 फीट लम्बाई का रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की 'आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1396/1 के लिए ग्राम–जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 4023/1395 में से प्राप्त भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट (मार्फत तहसीलदार जायल) दिनांक 12.03.2021 के अनुसार डोटेट मार्क के अनुसार 20 फीट चौड़ाई व 43 फीट लम्बाई के स्थान पर 13 फीट चौड़ाई व 43 फीट लम्बाई में स्वीकृत/घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 4023/1395 में से रास्ते के उपयोग/उपभोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22/07/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner